न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद बइजलास

शत्रुघ्न सिह गुर्जर आर.ए.एस

दायरा तिथि

22/06/2021

निर्णय दिनाक

13/7/24

बउनवान

1- रामचन्द्र आत्मज किशना जाति बलाई (मेधवाल) निवासी नाथू बलाई की झोपडिया तह0 दीगोद

– वादी

बनाम

1- बजरंगलाल पुत्र माधोलाल जाति मेधवाल

2- गोबरीलाल पुत्र माधोलाल जाति मेधवाल निवासी नाथू बलाई की झोपडिया तह0 दीगोद

3- कमला पुत्री माधोलाल पत्नि द्वारकीलाल जाति मेधवाल निवासी पोलाईकलां तह0 दीगोद

4- गोबरीलाल दत्तक पुत्र नारायण जाति मेधवाल निवासी नाथूबलाई की झोपडिया तह0 दीगोद

5- राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद,जिला कोटा।

– प्रतिवादीगण

वाद अ0धा0 53,188 आरटीएक्ट

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के संयुक्त खाते की ग्राम मेहन्दी तह0 दीगोद जिला कोटा में खाता सं. 135 पर ख.न. 728 रकबा 1.13 एवं खाता संख्या 136 पर ख.न. 709 की 1.02

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत

[illegible] की 1.12 है0 कुल किता 02 रकबा 2.14 है0 भूमि स्थित चली आ है। उपरोक्त वर्णित खाता न. 135 में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी न.1 [illegible] 3 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी न. 4 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। इसी प्रकार खाता न. 136 में वादी का 1/4 एवं प्रतिवादी न. 1 ता 3 का 1/6 एवं प्रतिवादी न. 4 का 7/12 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। तथा इसी के अनुरूप मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है।

यह है कि प्रतिवादी न. 2 गोबरीलाल उक्त भूमि का बिना विभाजन [illegible] बैचान करने पर आमादा है। जिसका प्रतिवादी न.2 को कोई अधिकार प्राप्त नही हैं। जब तक विभाजन नही हो जाता भूमि का बेचान विधि सम्मत् नही है।

यह कि वादी ने कब्जाा व मौका अनुसार प्रतिवादी न. 1 ता 4 से तहसील मे चलकर बटवारा कराने का कई बार निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा बटवारा करने से इंकार कर दिया इस कारण वादीगण को लगान आद्वि जमा कराने में परेशानी होती है। इस कारण बटवारा कराया जाना आवश्यक् हो गया है।

यह कि वादकारण दिनांक 11.06.2021 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण से बटवारा करने को कहने ओर इनके द्वारा इंकार किये जाने के कारण उत्पन्न हुआ।

अत:वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित आराजी ग्राम मेहन्दी का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके एवं कब्जे को ध्यान में रखते हुए विभाजन किया जावे। उपरोक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में विभाजन किया जाकर अलग खाता कायम करते हुए ख.न. 728 रकबा 1.13 है0 भूमि का वादी के खाते अलग दर्ज की जावे। एवं प्रतिवादी न. 1 ता 4 के विरूद्व इस आशय क स्थाईनिषेघाज्ञा प्रसारित की जावे कि प्रतिवादी न. 1 ता 4 वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करे, काश्त करने से रोके नही तथा बिना विभाजन विवादित भूमि को रहन,बेचान हस्तान्तरण नही करे। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करे।

[illegible] किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये समन्न की गई। [illegible] 1 ता 4 की ओर से वकील श्री मायाराम स्वामी द्वारा जवाबदावा मय [illegible] पेश किया।

पत्रावली में दिनांक 04.04.2023 को प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की [illegible] आदेश 6 नियम 17 जा0दिवानी वास्ते जवाबदावा मय [illegible] में संशोधन करवाने बाबत् पेश किया। वादी अधिवक्ता द्वारा [illegible] किये जाने पर प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0दिवानी [illegible] किया गया।

पत्रावली में दिनांक 14.06.2024 को पक्षकारान् द्वारा आपसी सहमति [illegible] पेश किया। राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया। वकील [illegible] द्वारा निवेदन किया की प्रकरण में पक्षकारान् द्वारा आपसी सहमति से [illegible] पेश हो चुका है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद का निस्तारण कर इसी [illegible] आज्ञा/डिकी पारित फरमावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड राजीनामा एवं राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। विवादित आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 संयुक्त रूप सह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। वकील वादी द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्ततु दस्तावेजात नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 माल ग्राम मेहन्दी खाता सं. 135 एवं नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम मेहन्दी तह0 दीगोद खाता सं. 136 में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 संयुक्त रूप से सह खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजा नकल नामन्तकरण ग्राम मेहन्दी, नकल जमाबंदी सम्वत् 2048 – 2057 एवं नकल जमाबदी सम्वत 2052–2055 एव नकल नामान्तकरण ग्राम मेहन्दी तह0 दीगोद के अवलोकन से विवादित आराजीयात् पक्षकारान् की पैतिक सम्पति होना प्रतीत होता है चूकि पक़्कारान् में विवादित आराजीयात् मे सहखातेदार है अतः सभी सह खातेदारान को अपने हिस्से की आराजी का विभाजन करवाने का अधिकार है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच निम्नानुसार विभाजन किया जाता है।

स्थित ग्राम मेहन्दी तह0 दीगोद के ख.न. 728 रकबा 1.13 है0 आराजी में से वादी रामचन्द्र को 1.12 है0 भूमि का खातेदार धोषित किया जाता है। तथा ख.न. 728 का शेष रकबा 0.01 पूर्व दिशा का प्रतिवादीगण 1 ता 4 के खाते में रहेगा। इसी प्रकार ग्राम मेहन्दी तहसील दीगोद की आराजी ख.न. 709 रकबा 1.02 व ख.न. 710 रकबा 1.12 है0 कुल किता 02 की 2.14 है0 आराजी का प्रतिवादीगण 1 ता 4 को खातेदार धोषित किया जाता है उक्त आराजी मे से वादी रामचन्द्र का नाम डिलीट किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर खाता व लगान पृथक से दर्ज किया जावे। विवादित आराजीयात् पर रहनभार दर्ज है तो यथावत रहेगा। उक्तानुसार अंतिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13/7/24 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा